

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II ... खण्ड 3 ... उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2851]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 28, 2019/भाद 6, 1941

No. 2851]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 28, 2019/BHADRA 6, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2019

का.आ. 3121(अ).—केंद्रीय सरकार ने, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 10 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपने कार्यालय आदेश सं. प्रतिस्पर्धा-05/9/2018-प्रतिस्पर्धा-एमसीए, तारीख 11 जुलाई, 2019 द्वारा श्री भगवंत सिंह विश्रोई (IFS: 1983) को, पांच वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक, या अगले आदेश तक, इनमें से जो पूर्वत्तर हो जो 17 जुलाई, 2019 (पूर्वाह्न) से प्रभावी है, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था।

उनकी सेवा की निबंधन और शर्तें भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 द्वारा विनियमित होंगे ।

[फा. मं. 05/9/2018-प्रतिस्पर्धा-एमसीए]

के.वी.आर. मृर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2019

S.O. 3121(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 read with sub-section (1) of section 10 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government, vide office order No. Comp-05/9/2018-Comp-MCA dated the 11th July, 2019, appointed Shri Bhagwant Singh Bishnoi (IFS:1983) as Member of the Competition Commission of India, with effect from the 17th July, 2019 (forenoon) for a period of five years, or till he attains the age of 65 years, or until further orders, whichever is earlier.

2. The terms and conditions of his service shall be governed by the Competition Commission of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2003.

[F. No. 05/9/2018-Comp-MCA]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.